प्रभात खबर
पटना, शुक्रवार
19.05.2017 03

पानी की बोतलों पर थे नकली आइएसआइ मार्क, कंपनी सील

- परसा बाजार स्थित सर्वोत्तम इंटर प्राइजेज नाम की कंपनी पर मानक ब्यूरो का छापा

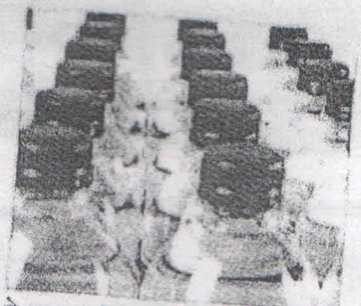

संवाददाता ▸ पटना

भारतीय मानक ब्यूरो पटना की शाखा ने परसा स्थित सर्वोत्तम इंटर प्राइजेज नाम की एक कंपनी पर छापा मारा. यह कंपनी बोतल बंद पानी की सप्लाइ करती है. छापेमारी में मौके से बोतल व रैपर बरामद किये गये हैं. कंपनी को सील कर दिया गया है. यह कंपनी पानी के बोतलों में अवैध तरीके से आइएसआइ मार्क का रैपर लगा कर बेचती है. ब्यूरो की इस कार्रवाई से अन्य पानी कंपनियों में हड़कंप है. छापेमारी का नेतृत्व ब्यूरो के अधिकारी गोपाल प्रसाद सिंह ने किया. टीम में पटना पुलिस के अतिरिक्त विभाग के अधिकारी भी शामिल थे. ब्यूरो अधिकारी एमडी सिंह ने बताया कि बोतल बंद पानी बचने वाली यह कंपनी काफी समय से बगैर लाइसेंस आइएसआइ मार्क लगाकर पानी बेचती थी. कई बार शिकायत मिलने के बाद गुरुवार को मानक ब्यूरो व पटना पुलिस के सहयोग से सर्वोत्तम इंटरप्राइजेज पर छापेमारी की कार्रवाई की गयी. छापेमारी के दौरान कंपनी में बड़ी संख्या में आइएसआइ मार्क लगी बोतलें पायी गयीं. यही नहीं बड़ी संख्या में आइएसआइ के स्टीकर भी मिले. उन्होंने बताया कि इस अपराध के लिए कंपनी संचालक पर सजा व जुर्माना दोनों हो सकता है. छापेमारी में एमके प्रमाणिक, उपेंद्र कुमार आदि शामिल थे.

शुक्रवार • 19 मई 2017
हिन्दुस्तान
31

पैकेजबंद पेयजल किया गया जब्त

पटना। भारतीय मानक ब्यूरो के पटना शाखा कार्यालय की ओर से परसा बाजार के रहीमपुर गांव में पैकेजबंद पेयजल बनाने वाले फर्म पर छापेमारी की गई।

गुरुवार को दस्ते दल की टीम ने सर्वोत्तम इंटरप्राइजेज को पैकेजबंद पेयजल पर भारतीय मानक ब्यूरो के आईएसआई मार्क का दुरुपयोग करते हुए पाया गया। इस संबंध में जानकारी मिलने पर विभाग की ओर से कार्रवाई की गई।

भारतीय मानक ब्यूरो के प्रमुख केसीएस बिष्ट ने बताया कि छापेमारी के दौरान उपरोक्त फर्म के पास भारी मात्रा में अवैध रूप से निर्मित आईएसआई मार्क पैकेजबंद पेयजल को जब्त करके सील कर दिया गया। मालूम हो कि आएसआई मार्क का दुरुपयोग करने पर तथा कोर्ट के सत्यापन होने के बाद जुर्माना या उत्पादनकर्ता को एक वर्ष की सजा या दोनों का प्रावधान है।